

1

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 6725 द्वारा माननीय श्री लाखन सिंह यादव।

परिशिष्ट "क"

जानकारी 01 जुलाई 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक

क्र.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट	नियमित छात्र/छात्रा उपस्थिति	शासन की योजना का लाभ
1	विमुक्त जाति बालक आश्रम हुकुमगढ़	80	80	प्रत्येक छात्र को शासन की योजना का लाभ मिल रहा है
2	विमुक्त जाति कन्या आश्रम सिमरिया टांका	100	100	
3	विमुक्त जाति प्री.मेट्रिक बालक छात्रावास भितरवार	50	50	
4	विमुक्त जाति प्री.मेट्रिक कन्या छात्रावास भितरवार	50	50	

सहायक संचालक
आदिवासी विकास
म.प्र. भोपाल

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास नवलखेर

परिशिष्ट

(9) (2)

परिशिष्ट-1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6725 द्वारा माननीय श्री लाखन सिंह यादव।

परिशिष्ट 'ख'

क्र.	छात्रावास/आश्रम	पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापना दिनांक
1	2	3	4	5
1	विमुक्त जाति बालक आश्रम हुकुमगढ़	श्री कमल धाकड़	सहायक अध्यापक	22.09.2016
2	विमुक्त जाति कन्या आश्रम सिमरियाटांका	श्रीमती कलारा मिंज	सहायक शिक्षक	02/2003
3	विमुक्त जाति प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास भितरवार	श्री रमेश राजपूत	सहायक शिक्षक	25.02.2016
4	विमुक्त जाति प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास भितरवार	श्रीमती गायत्री अग्रवाल	सहायक अध्यापक	01.10.2008

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास ग्वालियर

सहायक संचालक
आदिवासी विकास
म.प्र. भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

325

-267-

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-3/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/3/माचं, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक, अंशकालीन भृत्य एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 8/1/2008/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2008 एवं एफ 8-3/2011/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2011।

राज्य शासन की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मैदानों कार्यालयों द्वारा अल्प अवधि के छोटे-छोटे कार्यों हेतु अंशकालिक व्यक्तियों का कार्य पर लगाया जाता है तथा उन्हें अलग-अलग दरों से भुगतान किया जाता था जिसमें एकरूपता लाने की दृष्टि से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा संविदा एवं अंशकालिक कर्मचारियों की पारिश्रमिक में दिनांक 1-4-2011 से वृद्धि की गई थी।

2/ उपर्युक्त पाश्चात्तिक में वृद्धि की आवश्यकता पर विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों का पारिश्रमिक अप्रैल 2015 (माह अप्रैल 2015) का पारिश्रमिक जो मई 2015 से देय है निम्नानुसार निर्धारित किया जाये :-

	माह अप्रैल 2015 का पारिश्रमिक जो मई 2015 में देय होगा
■ स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक का पारिश्रमिक	₹ 5000/- प्रतिमाह
■ अंशकालीन भृत्यों का पारिश्रमिक	₹ 4000/- प्रतिमाह
■ अंशकालिक सफाई कर्मचारी का पारिश्रमिक	₹ 2000/- प्रतिमाह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तांगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग